न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 122/2022 (Bank Case)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा महावीर नगर, कोटा राजस्थान 324005

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1- मैसर्स ध्रूव ट्रेडिंग कम्पनी प्रो0 श्री राम गोपाल अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री लड्डूलाल अग्रवाल (ऋणी)
पता–एच–325–ए, रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रियल एरिया (आईपीआईए), कोटा जिला कोटा राजस्थान

2- मैसर्स सुन्दर फ्लॉर मिल प्रो0 श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल (गारन्टर)
पता–एच–325–ए, रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रियल एरिया (आईपीआईए), कोटा जिला कोटा राजस्थान

– अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 25.07.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी– बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा महावीर नगर, कोटा राजस्थान, में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 11.09.2014 को ऑवर ड्राफ्ट ऋण खाते में 40,00,000/– रूपये (अक्षरे चालीस लाख रूपये मात्र), बीजीईसीएलएस ऋण खाते में 9,10,000/–रूपये (अक्षरे नौ लाख दस हजार रूपये मात्र),टर्म लोन ऋण खाते में 6,00,000/– रूपये (अक्षरे छः लाख रूपये मात्र) एवं टर्म लोन ऋण खाते में 3,50,000/– रूपये (अक्षरे तीन लाख पचास हजार रूपये मात्र) इस प्रकार समस्थ ऋण खातों में कुल राशि रू. 58.60 (अक्षरे अठ्ठावन लाख साठ हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल प्रो0 मैसर्स सुन्दर फ्लॉर मिल की आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 41, गणपति नगर, नया खेडा, बून्दी रोड, कोटा, राजस्थान में स्थित है, (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट) जो जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 14.11.2013 से श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल के नाम है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं– पूर्व में रोड, पश्चिम में रोड, उत्तर में प्लॉट नं. 40, दक्षिण में प्लॉट नं. 42 है**, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 06.09.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे ऑवर ड्राप्ट ऋण खाते में 38,73,498.80/– (अक्षरे अडतीस लाख तहतर हजार चार सो अठानवें रूपये एवं अस्सी पैसे मात्र), बीजीईसीएलएस ऋण खाते में 8,89,184/– रूपये अक्षरे (आठ लाख निवासी हजार एक सौ चौरासी रूपये मात्र), टर्म होम लोन खाते में 2,65,656/– रूपये

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

(अक्षरे दो लाख पैंसठ हजार छः सौ छप्पन रूपये मात्र) एवं टर्म लोन ऋण खाते में 1,47,894.44/- रूपये (अक्षरे एक लाख सैतालीस हजार आठ सौ चौरानवे रूपये एण्ड चौवालीस पैसे मात्र) इस प्रकार समस्त ऋण खातों में कुल बकाया राशि 51,76,233.24/- (अक्षरे इक्यावन लाख छियतर हजार दो सो तैंतीस एवं चौबीस पैसे मात्र) दिनांक 01.09.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 08.09.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 08.09.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 08.09.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल प्रो0 मैसर्स सुन्दर फ्लॉर मिल की आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 41, गणपति नगर, नया खेडा, बून्दी रोड, कोटा, राजस्थान में स्थित है, (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट) जो जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 14.11.2013 से श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल के नाम है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं– पूर्व में रोड, पश्चिम में रोड, उत्तर में प्लॉट नं. 40, दक्षिण में प्लॉट नं. 42 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 25-07-2022 को सुनाया गया।

(ओ.पी. बुनकर)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)